न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/169/25	2025/216	21.07.2025	30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. परभाती पुत्र मनसुख जाति चमार निवासी नगलासमावदी, तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर नें जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम नगलासमावदी तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 179, 180, 181, 189 किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामली अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा 179, 180, 181, 189 किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिये आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन/नियमन की प्रक्रिया राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

संलग्न पटवारी हल्का सिरमोली की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्ष 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा न0 179, 180, 181, 189 किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम नगलासमावदी का किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित रहा है, अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी (गैर—खातेदार) परभाती पुत्र मनसुख जाति चमार निवासी नगलासमावदी, तहसील अलवर को आराजी खसरा न0 179 रकबा 0.17 है0, 180 रकबा 0.15 है0, 181 रकबा 0.22 है0, 189 रकबा 0.22 है0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि का आवंटन किया गया। पटवारी हल्का सिरमोली की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.06.2025 व 11.06.2025 के अनुसार उक्त खसरों पर आबादी बसी हुई है। मौके पर ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर जाहिर आया कि उक्त आराजी खसरा नंबरों पर गैर खातेदार (अप्रार्थी का लगभग 40 वर्षों से कब्जा नहीं रहा है ना ही काश्त नहीं की जा रही है तथा उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियों द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। मौके पर गैर खातेदार (अप्रार्थी) उपस्थित नहीं मिला एवं ना ही गैर खातेदारी के आवंटन संबंधी दस्तावेज मिले। आवंटी गैर खातेदार (अप्रार्थी) ग्राम नगला समावदी में निवास नहीं करता है। आवंटी (परभाती) गैर खातेदार (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार करने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी (गैर–खातेदार) परभाती पुत्र मनसुख जाति चमार निवासी नगलासमावदी, तहसील अलवर को आराजी खसरा न0 179 रकबा 0.17 है0, 180 रकबा 0.15 है0, 181 रकबा 0.22 है0, 189 रकबा 0.22 है0 किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि का किया गया आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)